न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 506 सन 2018

अनवान :–

1. जयसिह 2. छबीलाराम पि0 रामकुमार जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पत्नि महेन्द्र जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. राजपाल 4 बिरम कुमार पि0 महेन्द्र जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5 रोशनी 6 गुडडी उर्फ लिछमा 7 सन्तोष 8 धोलादेवी उर्फ शान्ति पुत्रीया रामकुमार जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. मंजू 10 गीता पुत्रीया महेन्द्र जाति सुनार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोंहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 313/300 के खसरा न0 568 की कुल 6.5260हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा रामचन्द्र के नाम से दर्ज थी जिनके फोत होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 प्रतिवादी संख्या 3 ,4 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 10 जो वादी की माता /पिता/बुआ/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 जो वादी के माता/पिता/बुआ /बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2, 5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 313/300 की कुल 6.1465हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीगण बहिब 2/3 हिस्सा , प्रतिवादीगण 3 ,4 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु. का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official